

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- स. 3-6(6)स्था/मंत्रा/अभि/17/ ४९२९-७६ दिनांक :- २२/६/१८

—: आदेश :—

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 36 के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु वर्ष 2018-19 में दिनांक 1.4.2018 को उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर श्री रामप्रसाद बैरवा, प्रशासनिक अधिकारी को उनकी सेवा में चयन के समय की मूल वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित बिन्दु 1 के विरुद्ध संस्थापन अधिकारी के पद पर राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के वेतन बेण्ड (3) 15600-39100 ग्रेड पे (16) 6000/- राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे मेट्रिक्स लेवल -15 में (सन्दर्भानुसार) पदोन्नत किया जाता है।

श्री रामप्रसाद बैरवा, संस्थापन अधिकारी का पदस्थापन पदोन्नति उपरान्त संस्थापन अधिकारी के पद पर अभियोजन निदेशालय जयपुर के अधीन किया जाता है।

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रक्रमांक प. 13(5) साप्र/३/०८ दिनांक 30.04.2018 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।


(रमेश कुमार शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
2. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
3. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
4. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
6. संस्थापन/प्रशासनिक/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन निदेशालय।
7. सम्बधित कार्मिक।
8. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर